



## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/170/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय-- प्र.सं. 170 / 2024 अनवान छोट्ट पुत्र ऊंकार चमार निवासी टीटोड़ा बनाम  
हीरा पिता गौरु चमार निवासी टीटोड़ा, लादू पिता भूरा चमार निवासी टीटोड़ा,  
तहसीलदार जहाजपुर को पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम टीटोड़ा प.ह. टीटोड़ा  
आराजी सं. 105, 107, 113, 767, 769, 770, 782, 783 कुल कित्ता 08 रकबा 0.9936  
हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी  
को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर  
अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के  
कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /  
समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15  
यों में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा